राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 05/2020 अपील

1. श्रवण लाल गुर्जर पिता बालूराम गुर्जर निवासी दांतडा तहसील आसीन्द 2. श्रीमती चांदी पत्नी श्रवण लाल गुर्जर निवासी दांतडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय /आदेश तहसीलदार आसीन्द दिनांक 07.12.2004 नामान्तरकरण संख्या 203

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

1. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 11.06.2024

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत तहसीलदार आसीन्द के नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 07.12.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने ग्राम बामणी के आराजी नम्बर 684 रकबा 0.59 हैक्ट. में से दिनांक 24.06.2002 को आवंटन कमेटी से रकबा 0.33 हैक्ट. भूमि आवंटित करवायी। जिसकी पालना में आवंटित भूमि अपीलार्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये व कब्जा सुपुर्द किया गया। तब से अपीलार्थीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके पश्चात् पटवार हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 04.12.2004 को भरकर आई.एल.आर. की स्वीकृति हेतु भिजवाया गया। आई.एल.आर. ने दिनांक 06.12.2004 को पटवारी हल्का की अनुशंषा को दुरूस्त माने जाने का अंकन किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 07.12.2004 को आई.एल.आर. द्वारा आवंटित भूमि को पैराफेरी रोड में होना मानते हुये अस्वीकृत योग्य होने की रिपोर्ट की गयी जिसके आधार पर दिनांक 07.12.2004 को तहसीलदार आसीन्द द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया गया, जबकि राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम बामणी पैराफैरी क्षेत्र में नही आता हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का उक्त

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि कार्यालय नगर पालिका आसीन्द के पत्रांक/नपाआ/2020/4458 दिनांक 02.03.2020 अनुसार ग्राम बामणी नगरपालिका आसीन्द की पैराफेरी क्षैत्र में अंकित गांवों की सूची में नहीं हैं।

इसी प्रकार राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना प 10(155) न.वि.वि./3/10 दिनांक 26.07.2010 अनुसार पैराफेरी राजस्व ग्रामों की सूची में ग्राम बामणी का नाम अंकित नहीं हैं।

इसी प्रकार नगर नियोजन विभाग राजस्थान द्वारा नगरीय क्षेत्र आसीन्द 2031 के नक्शे अनुसार भी ग्राम बामणी पैराफेरी क्षैत्र से बाहर होना अंकित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर, नामा0 संख्या 203 को अपास्त किया जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को समस्त दस्तावेजात का परीक्षण कर एवं अपीलार्थीगण की सुनवायी की जाकर अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 07.12.2004 को निरस्त किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलार्थीगण की पूर्ण सुनवायी की जाकर एवं नगर पालिका आसीन्द की पैराफेरी क्षेत्र से संबंधित सभी दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण किया जाकर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा